प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.04.2024

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से चोरी की गई कार बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 17.04.2024 को वादी शिवकुमार पुत्र तिलकराम ने अज्ञात चोरों द्वारा अपनी कार चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना सिहानीगेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक 29.04.2024 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1- रोहताश उर्फ बंटी पुत्र दयाशरन निवासी एल 1ए 126/14 संगम बिहार थाना नेब सराय दिल्ली हाल पता बी 24 शोभा नगर फाउन्ड्री नगर थाना एत्माउद्दोला जिला आगरा उम्र लगभग 37 वर्ष, 2- बलराम पुत्र अतर सिंह निवासी कमला नगर कोसी कला थाना कोसी कला जिला मथुरा उम्र लगभग 24 वर्ष को फव्वारा चौक पुराना बस अड्डा से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि यह ईको कार हम दोनो ने मिलकर लगभग 15 दिन पूर्व पटेल नगर क्षेत्र से चोरी की थी और आज हम इस कार की नंबर प्लेट हटाते हुए इसकी पहचान छुपकार अन्य कार चोरी करने हेतु रेकी करने जा रहे थे।

नाम पता अभियुक्तगण

1- रोहताश उर्फ बंटी पुत्र दयाशरन निवासी एल 1 ए 126/14 संगम बिहार थाना नेब सराय दिल्ली हाल पता बी 24 शोभा नगर फाउन्ड्री नगर थाना एत्माउद्दोला जिला आगरा उम्र लगभग 37 वर्ष।

2- बलराम पुत्र अतर सिंह निवासी कमला नगर कोसी कला थाना कोसी कला जिला मथुरा उम्र लगभग 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

01 ईको कार नं0 DL5CK 5239

आपराधिक इतिहास-

1- अभियुक्त-रोहताश उपरोक्त के विरुद्ध थाना विजनयगर कमिश्नरेट गाजियाबाद मे चोरी व आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है। थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद मे चोरी व आर्म्स के 02 अभियोग पंजीकृत है। एंव कमिश्नरेट आगरा मे आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

2- अभियुक्त बलराम उपरोक्त के विरुद्ध जनपद मथुरा मे चोरी , लूट, आर्म्स एक्ट , एनडीपीएस एक्ट के कुल 07 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा घरों में घुसकर चोरी करने वाले 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्ज़े से चोरी किया गया सामान बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 28.04.2024 को वादी विकास कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी पटवारी पुरा जनपद हापुड़ हाल पता शिव मन्दिर हरसांव पुलिस लाइन के सामने कविनगर ग़ाज़ियाबाद ने अज्ञात चोरों द्वारा घर में चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. नवीन उर्फ नायडू पुत्र नरेश कुमार निवासी- ग्राम हरसाव, थाना कविनगर जनपद ग़ाज़ियाबाद उम्र -22 वर्ष 2. मोनू उर्फ बौना पुत्र पप्पू निवासी- ग्राम हरसाव, थाना कविनगर जनपद ग़ाज़ियाबाद उम्र -23 वर्ष 3. भूरा उर्फ रिंकू पुत्र सोमपाल निवासी- ग्राम हरसाव, थाना कविनगर जनपद ग़ाज़ियाबाद उम्र -21 वर्ष को एनडीआरएफ रोड से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो तीनों ने एक स्वर मे बताया कि साहब हम लोग नशा करने के आदि है। अपने नशे की पूर्ति करने के लिये मकानों मे घुसकर चोरिया करते है यह सामान हमने एक कबाडी के कमरे का दरवाज़ा तोड़ कर चोरी किया था। हमने चैन व दो अगुठियो को काट – काट कर तीन हिस्सों मे एवं मिले नगद पैसे को तीन हिस्सों मे एवं चाँदी के सामान को अलग – अलग बाँट लिया था। कुछ पैसा हम लोगो ने नशे में खर्च कर दिया। इस सामान को आज हम बेचने जा रहे थे।

अभियुक्त का नाम पता-

1. नवीन उर्फ नायडू पुत्र नरेश कुमार निवासी- ग्राम हरसाव, थाना कविनगर कमिश्नरेट ग़ाज़ियाबाद उम्र -22 वर्ष
2. मोनू उर्फ बौना पुत्र पप्पू निवासी- ग्राम हरसाव, थाना कविनगर कमिश्नरेट ग़ाज़ियाबाद उम्र -23 वर्ष
3. भूरा उर्फ रिंकू पुत्र सोमपाल निवासी- ग्राम हरसाव, थाना कविनगर कमिश्नरेट ग़ाज़ियाबाद उम्र -21 वर्ष

बरामदगीः-

कटी हुई तीन टुकड़ों में चैन पीली धातु, कटी हुई दो अंगूठी पीली धातु, एक जोड़ी पाजेब दो जोड़ी सैंपल एक पेंडल कमर गुच्छा नेकलेस बच्चों के कड़े चुकटी हाथ का ब्रेसलेट सफेद धातु, आधार कार्ड व स्वर्णकार की रसीद , 18480 रुपए

आपराधि इतिहास

1. अभियुक्त मोनू उर्फ बौना थाना कविनगर कमिश्नरेट ग़ाज़ियाबाद पर चोरी के 02, गैंगेस्टर का 01, थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पर चोरी का 01 व 01 आर्म्स एक्ट कुल 05 अभियोग पंजीकृत है
2. अभियुक्त भूरा उर्फ रिंकू पुत्र सोमपाल थाना फेस तृतीय मध्य कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा अप्राकृतिक कृत्य करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।

दिनांक 28.04.2024 को वादी **निवासी** अर्थला साहिबाबाद द्वारा एक लिखित तहरीर की दी गयी कि 02 अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिसमें 02 अभियुक्त 1. निखिल पाल पुत्र अशोक पाल **निवासी** पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष। 2. हर्ष कुमार पुत्र सुनील कुमार **निवासी** म0न0-298 पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद

गजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को आज दिनांक 29.04.2024 को दोनों अभियुक्तों को उनके निवास स्थान अर्थला थाना साहिबाबाद से गिरफ्तार कर व 01 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त निखिल ने बताया कि आपके द्वारा जो वीडियो मुझे दिखायी गई है। उस वीडियो में पीली जैकेट में मैं ही हूँ। मेरे द्वारा पीड़ित के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया। मेरे साथ में हर्ष, आदित्य व बाल अपचारी थे। इन लोगों ने मेरी वीडियो बना ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. निखिल पाल पुत्र अशोक पाल **निवासी** पाल रोड़ अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
2. हर्ष कुमार पुत्र सुनील कुमार **निवासी** म0न0-298 पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद गजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम

दिनांक 29.04.2024 को थाना खोड़ा पर दाखिल एमवीएक्ट के 126 वाहनों की नीलामी के संबंध में।

वाहन का प्रकार – 126 वाहन (78 मोटर साइकिल व 21 ऑटो तीन पहिया व 27 जुगाड रिक्शा)
नीलामी का स्थान/दिनांक व समय - थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.04.2024 समय 14.00 बजे।
मुल्यांकन न्युनतम धनराशि – 2,11,100/- रु0
अधिकतम धनराशि (छोड़ी गयी नीलामी) – 4,05,000/- रु0
बोली दाताओं की संख्या – 27
सबसे अधिक बोली लगाने वाले (जिसके हक में निलामी छोड़ी गयी)- सरबर अली पुत्र अहमद अली निवासी नीलमणी कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
नीलामी गठित कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य –
अध्यक्ष - सहायक पुलिस आयुक्त इन्द्रापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद
सदस्य - सहायक परिवहन अधिकारी(प्राविधिक) गाजियाबाद
सदस्य - प्रभारी निरीक्षक थाना खोड़ा गाजियाबाद
सदस्य - मालखाना मोहर्रिर उ0नि0 रकम सिंह थाना खोड़ा गाजियाबाद
सदस्य – मालखाना मोहर्रिर है0का 502 सतेन्द्र सिह थाना खोड़ा गाजियाबाद

विवरण – गठित कमेटी द्वारा थाना खोड़ा पर दाखिल 126 वाहनों की नीलामी मूल्यांकन के उपरांत व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने पर 27 बोली दाताओं द्वारा हिस्सा लिया गया। इन वाहनों की न्युनतम धनराशि 2,11,100/- रु0 निर्धारित की गयी। जिसके सापेक्ष सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोली दाता सरबर अली पुत्र अहमद अली निवासी नीलमणी कॉलोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा 4,05,000/- रु0 लगाये जाने पर हक में छोड़ी गयी।